रेल अधिनियम 1989 के अधिन होने वाले अपराध और दण्ड

धारा	अपराध	रू.जुर्माना	कारावास	
137	उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना।	1000/- या	6 माह या	दोनों दण्ड
138	पास या टिकट के बिना या अपर्याप्त पास या टिकट से या निर्धारित दुरि से आगे यात्रा करने पर, मांगने पर अधिक प्रभार न देना। अधिकतक चार्ज 250/-	चार्ज या	चार्ज न भरने पर एक माह	10 दिन से कम का कारावास न होगा।
139	धारा 138 के अन्तर्गत मांगे गये अतिरिक्त चार्ज देने से इन्कार करे या देने में असफल रहे तो उसे इस कार्य हेतु तैनात रेल सेवक द्वारा सवारि डिब्बे से हटाया जायगा। परन्तु यदि वह स्त्री या बच्चा है और उसके साथ कोई सह पुरुष यात्री नहीं है तो उसे प्रारम्भीक स्टेशन पर जहां से वह यात्रा शुरू करता है या किसी जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर या जिले के मुख्यालय में स्थित स्टेशन पर, और केवल दिन में हि हटाया जायगा, अन्यथा नहीं।	-	-	नहीं हटने पर धारा 147 का अपराधी माना जाएगा।
141	रेल गाड़ी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना, या बिना उचित या पर्याप्त कारण के गाड़ी में खतरे की जंजीर खींचना(ACP)।	1000/- या	1 वर्ष या	दोनों दण्ड।
142	टिकटों का अनतरण(Transfer) करना, (टिकट जब्त होगी।)	500/- या	3 माह या	दोनों दण्ड।
143	रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना।	10,000/- या	3 वर्ष या	दोनों दण्ड।
144	(1) बगैर लायसन्स रेल पर फेरी लगाना, या (2)रेल के किसी सवारी डिब्बे या रेल स्टेशन पर भीख मांगना।	2000/- या	1 वर्ष या	दोनों दण्ड।
145	रेल के सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर कोई व्यक्ति,- (a)नशे कि हालत में होगा, या (b) कोई न्यूसेंस या अशिष्ट कार्य करेगा या गाली गलौच की या अश्लील भाषा का उपयोग करेगा, या (c)यात्रीयों के आराम में बाधा पहुँचायेगा।	500/- और	6 माह और	पास या टिकट जब्त होगा।
146	रेल सेवक के कर्तव्य में बाधा डालना।	1000/- या	6 माह या	दोनों दण्ड।
147	रेल के किसी भाग या जगह पर विधि विरूद्ध प्रवेश करना या वहां से हटने से इंकार करना। (Trespass)	1000/- या	6 माह या	दोनों दण्ड।
150	रेल गाड़ी को ईरादा पूर्वक तोड-फोड (ध्वस्त)करना	-	आजीवन	-

	या ध्वस्त करने का प्रयत्न करना (यदि ऐसे प्रयास से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु दण्ड ही दिया जाएगा।)		या दस वर्ष तक का कठोर कारावास।	
151	आग या विस्फोटक पदार्थ या तोड-फोड द्वारा रेल सम्पत्ति का नूकसान या विनाश करना।	जुर्माना या	5 वर्ष या	दोनो दण्ड।
152	रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जानबूझकर चोट पहुँचाना या ऐसा प्रयास करना।	-	आजीवन या दस वर्ष	-
153	रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को जानबूझकर किए गए कार्य या लोप द्वारा संकट में डालना।	-	5 वर्ष	-
154	रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य या गलती से संकट में डालना।	जुर्माना या	1 वर्ष या	दोनों दण्ड।
155	(1) आरक्षित कक्ष में प्रवेश करना या (2) अनारक्षित कक्ष में किसी के कानूनी प्रवेश को रोकना या उसका विरोध करना।	500/- 200/-	- -	- -
156	रेलगाड़ी की छत, सीढ़ियों, इंजन या किसी भाग पर यात्रा करना।	500/- या	3 माह या	दोनों दण्ड।
157	पास या टिकट में फेरफार करना या उसके रूप में परिवर्तन करना।	500/- या	3 माह या	दोनों दण्ड।
159	रेल सेवकों आदि के निर्देशों को वाहनों के ड्राइवरों या कंडक्टरों द्वारा अवहेलना (न मानना)।	500/- या	1 माह या	दोनों दण्ड।
160	(1) किसी ऐसे समतल क्रासिंग फाटक को खोलना जहाँ कोई व्यक्ति नियुक्त हो। (2) किसी ऐसे समतल क्रासिंग फाटक को तोडना जहाँ कोई व्यक्ति नियुक्त हो।	- -	3 वर्ष 5 वर्ष	- -
161	बिना गेटकिपर वाले समतल क्रासिंग फाटक को असावधानी या लापरवाही से पार करना।	-	1 वर्ष	-
162	महिलाओं के लिए आरक्षित किसी सवारी डिब्बे या अन्य स्थान में प्रवेश करना।	500/-	-	पास या टिकट जब्त होगा।
163	माल का झूठा वर्णन देना।	500/- रु. प्रति क्विंटल	-	-
164	खतरनाक माल को विधिविरूद्ध रूप से रेल पर लाना।(नूकसान का जिम्मेदार होगा)	1000/- या	3 वर्ष या	दोनों दण्ड।
165	घृणाजनक माल को विधिविरूद्ध रूप से रेल पर लाना।(नूकसान का जिम्मेदार होगा)	500/-	-	-
166	रेल प्रसाशन द्वारा लगाए गए किसी नोटिस बोर्ड या सार्वजजिक सूचनाओं को नूकसान पहुँचाना।	500/- या	1 माह या	दोनों दण्ड।

167	धूम्रपान करना।	100/-	-	-
172	यदि कोई रेल सेवक ड्युटी पर होते हुए नशे की हालत में होगा।	500/- या	1 वर्ष या	दोनों दण्ड।
173	प्राधिकार के बिना रेलगाड़ी, आदि का परित्याग कर देना।	1000/- या	2 वर्ष या	दोनों दण्ड।
174	रेलगाड़ी आदि के चलने में बाधा डालना (रेल सेवक द्वारा जो ड्युटी पर हो या नहो अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।	2000/- या	2 वर्ष या	दोनों दण्ड।
175	नियम या आदेश कि अवज्ञा करके अथवा उतावलेपन या लापरवाहि से रेल सेवक द्वारा ड्युटी पर रहते हुए, व्यक्तियों की सुरक्षा को संकट उत्पन्न करना।	1000/- या	2 वर्ष या	दोनों दण्ड।
176	समतल क्रासिंग में बाधा डालना :- यदि कोई रेल सेवक अनावश्यक रूप से- (a)किसी चलस्टाक को ऐसे स्थान के आर-पार खड़ा रहने देगा जहां रेल किसी लोक मार्ग को समतल पार करती है, या (b)समतल क्रासिंग को जनता के लिए बंद रखेगा	100/-	-	-